

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18082022-238172
SG-DL-E-18082022-238172

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 16, 2022/श्रावण 25, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 221
No. 390]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 2022/SRHAVANA 25, 1944	[N. C. T. D. No. 221

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2022

फा. सं. 43(49)/2005/डीएससीएसटी/पीजी/9815-38.—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के नियम 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल एतद् द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का पुनर्गठन करते हैं:—

1.	मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	अध्यक्ष
2.	गृहमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
3.	वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
4.	मंत्री, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
5.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी निर्वाचित सांसद और विधायक	
i.	श्री हंसराज हंस, सांसद, उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र	सदस्य

ii.	श्री जय भगवान, विधायक, बवाना	सदस्य
iii.	श्री मुकेश कुमार अहलावत, विधायक, सुल्तानपुर माजरा	सदस्य
iv.	श्रीमती राखी बिरला, विधायक, मंगोल पुरी	सदस्य
v.	श्री विशेष रवि, विधायक, करोल बाग	सदस्य
vi.	श्री राज कुमार आनंद, विधायक, पटेल नगर	सदस्य
vii.	श्री गिरीश सोनी, विधायक, मादी पुर	सदस्य
viii.	श्री प्रकाश @ प्रकाश जारवाल, विधायक, देवली	सदस्य
ix.	श्री अजय दत्त, विधायक, अम्बेडकर नगर	सदस्य
x.	श्री रोहित कुमार, विधायक, त्रिलोकपुरी	सदस्य
xi.	श्री कुलदीप कुमार, विधायक, कोण्डली	सदस्य
xii.	श्री सुरेन्द्र कुमार, विधायक, गोकलपुर	सदस्य
6.	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
7.	गृह सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
8.	महानिदेशक/ पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस	सदस्य
9.	निदेशक/उप-निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	सदस्य
10.	निदेशक/उप-निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	सदस्य
11.	प्रधान सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	संयोजक

सदस्यों की कुल संख्या 25 से अधिक नहीं होगी। समिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के क्रियान्वयन तथा पीड़ितों को प्रदत्त राहत एवं पुनर्वास सुविधाओं और इससे संबंधित अन्य मामलों, अधिनियम के अन्तर्गत मामलों के अभियोजन तथा इसके प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी विभिन्न अधिकारियों/एजेंसियों की भूमिका तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों की समीक्षा के लिए एक कैलण्डर वर्ष में जनवरी तथा जुलाई माह में कम से कम दो बार बैठक करेगी।

यह अधिसूचना इस विभाग की दिनांक 11.09.2015 की पूर्व अधिसूचना फा. सं. 43(49)/2005/डीएससीएसटी/पीजी/18482-503 के अधिक्रमण में जारी की जाती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अमित कुमार पमासी, उप-निदेशक (डीएससीएसटी)

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MIN.

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2022

F. No. 43(49)/2005/DSCST/PG/9815-38.—In exercise of powers conferred under Rule 16 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, the Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to re-constitute the State Level Vigilance and Monitoring Committee to review the implementation of the provisions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, consisting of the following members:-

- | | | |
|----|--|----------|
| 1- | Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi | Chairman |
| 2- | Home Minister, Govt. of NCT of Delhi | Member |
| 3- | Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi | Member |
| 4- | Minister for the Welfare of SC/ST/OBC/Min.,
Govt. of NCT of Delhi | Member |
| 5- | All elected MPs and MLAs of NCT of Delhi belonging
to the Scheduled Castes & Scheduled Tribes | |
| i- | Sh. Hans Raj Hans, MP, North-West Constituency | Member |

ii- Sh. Jai Bhagwan, MLA, Bawana	Member
iii- Sh. Mukesh Kumar Ahlawat, MLA, Sultan Pur Majra	Member
iv- Smt. Rakhi Birla, MLA, Mangol Puri	Member
v- Sh. Vishesh Ravi, MLA, Karol Bagh	Member
vi- Sh. Raaj Kumar Anand, MLA, Patel Nagar	Member
vii- Sh. Girish Soni, MLA, Madipur	Member
viii- Sh. Prakash @ Prakash Jarwal, MLA, Deoli	Member
ix- Sh. Ajay Dutt, MLA, Ambedkar Nagar	Member
x- Sh. Rohit Kumar, MLA, Trilokpuri	Member
xi- Sh. Kuldeep Kumar, MLA, Kondli	Member
xii- Sh. Surendra Kumar, MLA, Gokalpur	Member
6- Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi	Member
7- Home Secretary, Govt. of NCT of Delhi	Member
8- Director General/ Commissioner of Police, Delhi Police	Member
9- Director/Deputy Director, National Commission for Scheduled Castes	Member
10- Director/Deputy Director, National Commission for Scheduled Tribes	Member
11- Pr. Secretary/Secretary, Dept. for the Welfare of SC/ST/OBC/Min., Govt. of NCT of Delhi	Convener

The total number of members shall not be more than 25. The Committee shall meet at least twice in a calendar year, in the month of January and July to review the implementation of the provisions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, relief and rehabilitation facilities provided to the victims and other matters connected therewith, prosecution of cases under the Act, role of different officers/agencies responsible for implementation of the provisions of the Act and various reports received by the Government of National Capital Territory of Delhi.

The notification is issued in supersession of this Department's earlier notification No.F.43(49)/2005/DSCST/PG/18482-503 dated 11/09/2015.

By Order and in the Name of
Lt. Governor of the NCT of Delhi,
AMIT KUMAR PAMASI, Dy. Director (DSCST)